150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2020–21/13812 दिनांक 18/8/2020

दिशा–निर्देश
(सत्र 2020–21)

अन्तर्जिला एक्सपोजर विजिट

सत्र 2020–21 में विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को बाहरी वातावरण के ज्ञान द्वारा आत्म विश्वास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से अन्तर्जिला एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया जाना है। एक्सपोजर विजिट के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को ऐतिहासिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राज्य में संचालित विशेष विद्यालयों, संदर्भ कक्षों, बैंक, डाकघर, म्युजियम, चिडियाघर आदि स्थलों की यात्रा एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जायेगी।

अन्तर्जिला एक्सपोजर विजिट

अन्तर्जिला एक्सपोजर विजिट राज्य के सभी 33 जिलों में अक्टूबर–नवम्बर माह में आयोजित की जायेगी। विजिट जिले के बजट की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम दो दिवस हेतु प्लान की जायेगी।

1. विजिट हेतु बालक–बालिकाओं का चयन : –

- ब्लॉक स्तर पर बालक–बालिकाओं का चयन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर किया जाये। ब्लॉक के संदर्भ कक्ष पर आकर अभ्यास करने वाले बालक–बालिकाओं एवं प्रतिभाशाली बालक–बालिकाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाये।
- एक्सपोजर विजिट में प्रत्येक ब्लॉक से अधिकतम 20 संभागियों का चयन किया जा सकेगा जिसमें निम्नानुसार संभागी होंगे– 14 विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाएं, 2 सामान्य बालक–बालिकाएं एवं 4 अन्य संभागी (जिले के अधिकारी/संदर्भ व्यक्ति (CWSN) /अभिभावक)।
- सभी श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को अवसर दिया जाये।
- इस एक्सपोजर विजिट में 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष वाले बच्चे ही शामिल हो सकेंगे।
- उपलब्धता की स्थिति में एक्सपोजर विजिट में लगभग 50 प्रतिशत बालिकाएं ले जाना सुनिश्चित करें, इसमें कम से कम 2 महिला संदर्भ शिक्षकों/अभिभावकों का भी चयन करें।

2. सत्र 2020-21 में एक्सपोजर विजिट हेतु वित्तीय प्रावधान :-

क्रं.सं.	दर प्रति ब्लॉक		योग
	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर	
1	10000	10000	₹ 20000

3. वित्तीय मानदण्ड

प्रति ब्लॉक 20 संभागियों हेतु वित्तीय मानदण्ड निम्नानुसार रहेगा :-

क्रं.सं.	मद	दर	राशि (₹ मे)
1	बस किराया एवं ठहरने की व्यवस्था (वास्तविक)	500	10000
2	चाय, नाश्ता एवं भोजन (प्रति संभागी)	200	4000
4	फोटोग्राफी एवं परिचय पत्र	30	600
5	बैनर/टिकट दर्शनीय स्थल	50	1000
6	बच्चों का जिला मुख्यालय तक आने-जाने का वास्तविक किराया	वास्तविक	4000
7	विविध व्यय (आवश्यकता की स्थिति में)		400
		योग	20000

नोट :-

- उक्त उपमदों में से यदि अपरिहार्य स्थिति में किसी उपमद में राशि अधिक व्यय होती है तो यह राशि किसी अन्य उपमद से समायोजित की जा सकेगी।
- कुल अधिकतम व्यय जिले को आवंटित राशि की सीमा में ही किया जायेगा।

4. उल्लेखनीय बिन्दु : -

- बालक-बालिकाओं के चयन उपरान्त एक्सपोजर विजिट हेतु बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त की जाये।
- स्थान का चयन करते समय मुख्यालय से स्थान की दूरी एक तरफ, कम से कम 150 कि0मी0 होगी।
- विजिट के दौरान संदर्भ कक्ष आदि की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाये। रात्रि में ठहरने की व्यवस्था यथा संभव जिला मुख्यालय के सुविधायुक्त स्थान में की जा सकेगी।
- एक्सपोजर विजिट हेतु यथा संभव राजस्थान परिवहन निगम की बसों को ही किराये पर लिया जाये। निगम की बसों की अनुपलब्धता की स्थिति में निजी एजेन्सी की बसों को नियमानुसार निविदा/कोटेशन द्वारा किराये पर लिया जा सकेगा। परन्तु दरें बाजार प्रतिस्पर्धी होनी चाहिये।
- विजिट के दौरान सभी बालक-बालिकाओं के फोटो सहित परिचय पत्र उपलब्ध करवाये जायेगें।
- विजिट की फोटोग्राफी कराई जा सकेगी परन्तु इस मद में अनावश्यक व्यय न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- जिस जिले की विजिट की जा रही है, उस जिले के जिला परियोजना समन्वयक को बालक-बालिकाओं हेतु ठहरने का स्थान, बिस्तर एवं भोजन इत्यादि उपलब्ध कराने में सहयोग हेतु अनुरोध किया जा सकता है। इस पर होने वाले समस्त व्यय का भुगतान विजिट करने वाले जिले द्वारा ही किया जायेगा।
- विजिट किये जा रहे जिले में यदि वाहन की आवश्यकता होती है तो उस जिले की पूर्व में चयनित एजेन्सी से निर्धारित दरों पर वाहन की व्यवस्था की जा सकेगी। उक्त व्यवस्था में संबंधित जिले के एडीपीसी का सहयोग वांछनीय है।

- ➢ विजिट दल में बालिकाओं के साथ महिला शिक्षक/संदर्भ शिक्षिका आवश्यक रूप से रहेगें। बालिकाओं हेतु आवास की पृथक व्यवस्था (अन्य कक्ष में) की जाये। उनके साथ महिला शिक्षक/संदर्भ शिक्षिका आवश्यक रूप से रहेगें।
- ➢ किसी भी स्थिति में अन्य अनुभागों के कार्मिक/प्रभारी अधिकारी इस एक्सपोजर विजिट में नहीं जायेगें।
- ➢ एक्सपोजर विजिट की संपूर्ण कार्ययोजना से परिषद् मुख्यालय को विजिट के 7 दिवस पूर्व अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- ➢ विजिट के दौरान बालक-बालिकाओं की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान की होगी।
- ➢ एक्सपोजर विजिट का विस्तृत प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ्स निम्न प्रारूप में परिषद् मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	बालक/बालिका का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	दोष का प्रकार
1				

➢ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-**

1. राशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रकिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
3. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- **नोटः-गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।**

14/08

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त
आयुक्त, रास्कूशिप एवं
आयुक्त, स्कूल शिक्षा

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20-21/13812
दिनांक : 18/8/2020

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

कोरोना के बचाव के उपाय अपनायें

बार बार
हाथ धोयें

मास्क पहन
कर बाहर जायें

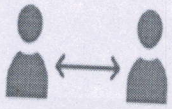

2 गज की दूरी
बनायें रखें